छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2011
(चैत्र-7, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 एवं 05 से 13 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री सौरभ सिंह के स्थान पर अधिकृत श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन-

(i) दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए (राज्य वित्त) (प्रतिवेदन क्रमांक 1) छत्तीसगढ़ शासन तथा

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए (सिविल एवं वाणिज्यिक) (प्रतिवेदन क्रमांक 2) छत्तीसगढ़ शासन

(2) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, तथा

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने-

(3) वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2009-2010, पटल पर रखे।

3. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - वर्ष 2010-2011 के लिए उत्कृष्ट संसदीय विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं इस वर्ष से प्रारंभ किये गये उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया के चयन हेतु गठित समिति द्वारा निम्नांकित माननीय सदस्यों, पत्रकार एवं संवाददाता को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है :-

उत्कृष्ट विधायक :

1. सत्ता पक्ष से	श्री संतोष बाफना
2. प्रतिपक्ष से	श्री मोहम्मद अकबर

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार :

1. दैनिक भास्कर	श्री शिव दुबे

उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया :

1. जी-24 घंटे छत्तीसगढ़	सुश्री प्रियंका कौशल

पुरस्कार वितरण दिनांक 29 मार्च, 2011 को सायं 7.00 बजेआयोजित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों, पत्रकार एवं संवाददाता को बधाई दी ।

4. पृच्छा

श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य द्वारा बस्तर क्षेत्र के अनेक गांवों में आदिवासियों के मकान जलाये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज 10 बजे के बाद प्राप्त हुई है। नियमानुसार स्थगन प्रस्ताव 2 घंटे पूर्व सचिव को, आसंदी को व मंत्री को प्राप्त होना चाहिए। जिस घटना पर स्थगन प्रस्ताव की मांग की जा रही है उसी विषय पर ध्यानाकर्षण स्वीकृत कर कार्यसूची में शामिल किया गया है।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा उनके द्वारा प्रेषित स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - घटना की गंभीरता को देखते हुए ध्यानाकर्षण सूचना को ग्राह्य किया गया है एवं आज ही उसको लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा सदन में पूर्व में दिनांक 23 मार्च, 2011 को किए गए कथन का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी कि - इस सदन को नियम एवं प्रक्रिया एवं मान्य परंपरा के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर ध्यानाकर्षण स्वीकार किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से सहयोग का आग्रह किया।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.29 बजे स्थगित की जाकर 1.04 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

5. वक्तव्य

जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में ताजा घटनाक्रम के संबंध में।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में ताजा घटनाक्रम के संबंध में वक्तव्य दिया गया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

6. बहिर्गमन

शासन से समुचित उत्तर न आने के विरोध में श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा दिन भर की कार्यवाही के लिए सदन से बहिर्गमन किया गया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, अमरजीत भगत, धर्मजीत सिंह, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, भोलाराम साहू, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार श्री देवजी पटेल, सदस्य की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं ।

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने लोक लेखा समिति का छियासठवां, सड़सठवां, अड़सठवां, उन्हत्तरवां, सत्तरवां, इकहत्तरवां, बहत्तरवां, तिहत्तरवां, चौहत्तरवां, पचहत्तरवां, छिहत्तरवां, सतहत्तरवां, अठहत्तरवां, उन्यासीवां एवं अस्सीवां प्रतिवेदन,

(2) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् प्रतिवेदन, तथा

(3) श्री नंदकुमार साहू, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती लक्ष्मी बघेल

(2) श्री जगेश्वर राम भगत

(3) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्री रामजी भारती

(6) श्री ब्रम्हानंद

(7) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2, सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2, सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक, 2011 (क्रमांक 4, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक, 2011 (क्रमांक 4, सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6, सन् 2011)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6, सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7, सन् 2011)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7, सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचनाओं पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित कियाः-

(1)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2, सन् 2011)	-	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक, 2011 (क्रमांक 4, सन् 2011)	-	1 घंटा
(3)	छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6, सन् 2011)	-	15 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7, सन् 2011)	-	30 मिनट

12. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष एंव प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुदान मांगों की चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया।

माननीय मुख्यमंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रामजी भारती, खेदूराम साहू, बैदूराम कश्यप, नंदकुमार साहू, श्रीमती सुमित्रा मारकोले एवं श्री देवजी पटेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) का पुर:स्थापन किया ।

अपराह्न 3.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 29 मार्च, 2011 (चैत्र 8, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा